न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 44/2020 (फोरलेन)

उनवान

1 श्री गंगाराम पिता अमराराम गुर्जर, निवासी गलोदिया, गणेशपुरा (जागीर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :–

(1) श्री नारायण पिता गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, गणेशपुरा (जागीर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

(2) श्री बदरीलाल पिता गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, गणेशपुरा (जागीर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

(3) कमला पुत्री गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, गणेशपुरा (जागीर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

(4) जस्सू पुत्री गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, गणेशपुरा (जागीर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

(5) रूक्मण पुत्री गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, गणेशपुरा (जागीर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति), एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 6–ए–1, आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3. तहसीलदार सहाडा, तहसील सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।
4. ग्राम पंचायत गणेशपुरा,द पंचायत समिति सहाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गणेशपुरा, पंचायत समिति सहाडा, जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–3जी–5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्रमांक फोरलेन/2014/प्रतिकर निर्धारण/128–153 दिनांक 26.08.2015

उपस्थित –

1 अधिवक्ता प्रार्थी– हरदयाल वर्मा, श्री लादूलाल गुर्जर

2. अधिवक्ता अप्रार्थी – श्री मुकुट बिहारी दाधिच, श्री गोविन्द मेवाड़ा।

निर्णय

दिनांक : 11–06–2025

1– प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3–जी–5 एनएच एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की अन्दर हल्का आबादी गलोदिया की आराजी संख्या 503 में से 85 फिट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 राजसमंद से भीलवाडा फोरलेन हेतु अवाप्त की गयी है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 में खण्ड–क के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त कर अधिसूचना कमांक का.आ./1813(अ) दिनांक 14.08.2012 से प्राधिकृत किया गया। सक्षम अधिकारी ने धारा 3–क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा